



कुलसचिव कार्यालय
उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281001

पत्र सं० **923** / यूपीडीडीवीयू/आर-(यू0जी0ई0ई0-2025)

दिनांक: **18** जुलाई, 2025

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक कार्यक्रमों (B.Tech Dairy Technology/B.F.Sc/ B.Tech Biotechnology) में यू0जी0ई0ई0-2025 के आधार पर प्रथम चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु दिनांक 29.07.2025 को द्वितीय चरण की ऑफलाइन काउंसिलिंग हेतु आवश्यक सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु यू0जी0ई0ई0-2025 के आधार पर प्रथम चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त निम्नानुसार रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की काउंसिलिंग दिनांक 29.07.2025 को प्रातः 9:00 बजे से विश्वविद्यालय के पं० दीन दयाल उपाध्याय सभागार में की जाएगी। ऑफलाइन काउंसिलिंग की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है व अन्य किसी माध्यम से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

Sr. No	Course	Original Category/ Sub category	Converted Category (If Converted)	No. of vacant Seat
1	B. Tech (Biotechnology) (Self Finance Scheme Course)	OBC Category	No conversion	10
		SC Category	No conversion	02
		ST Category	Converted to SC Category	01**
		Girls Seat: OBC Category	No conversion	01
		Girls Seat: SC/ST Category	No conversion	01
2	B. Tech (Dairy Technology)	EWS Category	No conversion	04
		OBC Category	No conversion	06
		Girls Seat: OBC Category	No conversion	01
3	Bachelor of Fisheries Sciences	UR Category	No conversion	10*
		EWS Category	No conversion	04
		OBC Category	No conversion	09
		SC Category	No conversion	05*
		Girls Seat: UR Category	No conversion	02
		Girls Seat: OBC Category	No conversion	01
		Girls Seat: SC/ST Category	No conversion	01
Total				58

* इन रिक्त सीटों की संख्या मेरिट अनुसार परस्पर परिवर्तित हो सकती है।

** यदि कोई ST Category का अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं हुआ था और वह यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में उपस्थित होता है तो B. Tech (Biotechnology) की ST Category की रिक्त सीट परिवर्तित नहीं की जाएगी।

रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु निम्नानुसार रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही काउंसिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	दिनांक	कैटेगरी	रैंक
1	29 जुलाई 2025	अनारक्षित/ओ0बी0सी0/ गर्ल्स/आर्म्ड फोर्स	यू0जी0ई0ई0-2025 प्रवेश परीक्षा की ओवरऑल रैंक 201 से 300 तक
		ई.डब्ल्यू.एस	यू0जी0ई0ई0-2025 प्रवेश परीक्षा की कैटेगरी रैंक 74 से 140 तक

		अनुसूचित जाति	यू0जी0ई0ई0-2025 प्रवेश परीक्षा की कैटेगरी रैंक 151 से 356 तक
--	--	---------------	--

Sr.No	Dates	Category	Rank
1	29 July 2025	Unreserved/OBC/Girls/ AF	UGEE-2025 Entrance Examination overall rank 201 to 300
		EWS	UGEE-2025 Entrance Examination Category rank 74 to 140
		SC	UGEE-2025 Entrance Examination Category rank 151 to 356

वह अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किए गए थे परन्तु किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे, यदि वह इच्छुक हैं तो प्रवेश हेतु दिनांक 29.07.2025 को प्रातः 9:00 बजे द्वितीय चरण की होने वाली काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका में अंकित रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा।

नोट— विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा।

अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर काउंसिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें। यात्रा में किसी भी प्रकार का विलम्ब/व्यवधान होने या काउंसिलिंग में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अभ्यर्थी “Application form for admission” भरकर सभी प्रमाण-पत्रों की पाँच प्रति संलग्न कर, मूल प्रमाण-पत्रों व निर्धारित शिक्षण शुल्क की व्यवस्था कर काउंसिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

काउंसिलिंग हेतु निम्नलिखित निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ कर उसका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है।

- ऑफलाइन काउंसिलिंग का कार्य पूर्ण होने में समय लग सकता है व दूसरे दिवस भी उसी क्रम में काउंसिलिंग हो सकती है। जिस कारण अभ्यर्थी को एक दिन से अधिक रुकना पड़ सकता है। अतः अपने ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी अपने स्तर से करेंगे। विश्वविद्यालय इस हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- काउंसिलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों का पंजीकरण प्रथम दिवस दिनांक 29 जुलाई 2025 को ही होगा। विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी अपरिहार्य कारणों से प्रथम दिवस पर उपस्थित नहीं होता है व प्रथम दिवस में काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नहीं कराता है तो द्वितीय दिवस में काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण प्रथम दिवस पर नहीं हुआ है वह काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।
- अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं (Stages) जैसे कि काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण, मेरिट अनुसार उपस्थिति, प्रमाण पत्रों की जाँच, सीट आवंटन, चिकित्सकीय परीक्षण, पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना, छात्रावास आवंटन, परिचय प्रमाण पत्र डेटा संग्रहण, ऐन्टी रैगिंग शपथ पत्र का ऑनलाइन अपलोड किया जाना इत्यादि में होगी।

6. यदि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश की प्रक्रिया प्रथम दिवस पर पूर्ण नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थी को दूसरे दिवस काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित हो कर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।
7. यदि अभ्यर्थी की काउंसिलिंग प्रथम दिवस पर पूर्ण नहीं हुई है और वह द्वितीय दिवस पर अनुपस्थित है तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जाएगा।
8. अभ्यर्थी के काउंसिलिंग स्थल से गायब होने या बुलावे पर अन्यत्र चले जाने अथवा बुलावे पर अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को सीट चयन की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
9. सीट आवंटन के उपरान्त तुरन्त पूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा आवंटित सीट को रद्द कर दिया जाएगा।

उपरोक्त चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त सीटें रिक्त होने पर ही अगले चरण की काउंसिलिंग की जाएगी। जिसकी सूचना पृथक रूप में विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अन्य किसी माध्यम से काउंसिलिंग की सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी।


कुलसचिव

ऑफलाइन काउंसिलिंग हेतु अनुदेश

कृपया ध्यान दें:- ऑफलाइन काउंसिलिंग हेतु अनुदेश में मांगे गये मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा

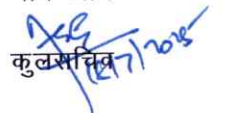
यू0जी0ई0ई0-2025 के आधार पर स्नातक (बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी/बी0एफ0एससी/बीटेक, बायोटेक) पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की ऑफलाइन काउंसिलिंग **दिनांक 29 जुलाई 2025 को प्रातः 09:00 बजे** विश्वविद्यालय के पं० दीन दयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित की जाएगी। काउंसिलिंग पंजीकरण शुल्क रू० 500/- प्रति छात्र देना होगा। यदि आप निर्धारित तिथि व समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होंगे तो यह समझा जायेगा कि आप प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं हैं। यात्रा में होने वाले विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। काउंसिलिंग के दौरान समस्त सीट पर यू0जी0ई0ई0-2025 प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर ही चयन की कार्यवाही कर प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूलरूप में तथा “Application form for admission” के साथ प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियों को पाँच सैट में लाना अनिवार्य है-

- प्रवेश प्रारूप (Application form for Admission) जो नीचे दिया गया है, को स्पष्ट बड़े अक्षरों में भर कर प्रमाणित रंगीन फोटो चिपका कर साथ लावें एवं प्रारूप के साथ मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां अवश्य संलग्न करें।
- हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।
- आधार कार्ड।
- चार पासपोर्ट साइज फोटो।
- यू0जी0ई0ई0-2025 परीक्षा का प्रवेश-पत्र व परिणाम पत्र (Result card)
- उस विद्यालय/विश्वविद्यालय जहां से आपने अन्तिम शिक्षा पाई हो, का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन प्रमाण-पत्र)
- यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम सम्बन्धित प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- यदि आपके अध्ययन काल में कोई अन्तराल (Gap) हो तो अन्तराल (Gap) के कारण का स्पष्टीकरण (शपथ पत्र) जो पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित हो काउंसिलिंग के समय अवश्य साथ लायें। (Annexure-I)
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
- यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- यदि आप AF/FF/UEW वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम सम्बन्धित प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- पिता/संरक्षक का नवीनतम (वर्ष 2025) आय-प्रमाण पत्र।
- प्रोस्पेक्टस के (Annexure-G, G(a), G(b) व H) पर अंकित प्रारूपों का अलग-अलग दस रुपये के शपथ पत्र जो पब्लिक नोटरी के द्वारा सत्यापित होना चाहिये, काउंसिलिंग के समय साथ लायें।
- प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा प्रोस्पेक्टस में दर्शित प्रवेश शुल्क एवं अन्य मदों में जमा की गई धनराशि विश्वविद्यालय प्रोस्पेक्टस 2025 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही प्रतिदाय (Refund) की जाएगी।

कृपया उपरोक्त प्रमाण पत्र जो आपसे संबंधित हो, अपने साथ लाना अनिवार्य है। इनके अभाव में आप काउंसिलिंग से वंचित कर दिये जायेंगे। साथ ही आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्र वास्तविक एवं सत्य हों क्योंकि इन प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी और यदि आपके प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये गये तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा व आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों एवं आपकी शारीरिक जांच रिपोर्ट को उपयुक्त पाये जाने पर ही आपके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।


कुलसचिव

फीस से सम्बन्धित जानकारी

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यू0जी0ई0ई0-2025 की काउंसलिंग में प्रोसपेक्टस के पृष्ठ सं0 41 से 44 पर दी गयी शिक्षण शुल्क तालिका अनुसार शिक्षण शुल्क तुरन्त जमा करना आवश्यक होगा। फीस जमाने करने के अभाव में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

बी0टेक (डेयरी टेक्नोलॉजी)/बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस (B.F.Sc) में प्रवेश के समय शुल्क

(Hostel will be allotted subject to availability)

कोर्स	फीस (रुपया)
B.Tech (Dairy Technology)/B.F.Sc हॉस्टल सहित	44,550.00+3850(Hostel Charges) = 48,400.00
B.Tech (Dairy Technology) /B.F.Sc बगैर हॉस्टल	44,550.00

बी0टेक (बायोटेक) में प्रवेश के समय शुल्क

(Hostel will be allotted subject to availability)

कोर्स	फीस (रुपया)
B.Tech Biotechnology (स्व वित्त पोषित) हॉस्टल सहित	54,550+3850(Hostel Charges) = 58,400.00
B.Tech Biotechnology (स्व वित्त पोषित) बगैर हॉस्टल	54,550.00

सभी सीट पर प्रवेश यू0जी0ई0ई0-2025 (प्रवेश परीक्षा) की मेरिट, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प (choice) व श्रेणी (category) के आधार पर होगा। समस्त सीटों पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त करते हुए मेरिट अनुसार अगले अभ्यर्थी को सीट आवंटित कर दी जाएगी।

Fee payment procedure शुल्क जमा करने की प्रक्रिया:

शुल्क हेतु कोई भी चेक (cheque) स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। सीट आवंटन होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क जमा किया जाए।

1. अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क कैश के रूप में जमा किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट 'वित्त अधिकारी, वेटेरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा' (Finance Officer, DUVASU, Mathura) के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की मथुरा शाखा पर देय होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क **RTGS/NEFT/UPI** के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इस हेतु निम्नलिखित जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।

B.Tech (Dairy Tech.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	FINANCE OFFICER DAIRY SCIENCE
A/C	147501000000125
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFS CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003
BRANCH ADDRESS	VETERINARY UNIVERSITY MATHURA

B.F.Sc पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	FINANCE OFFICER FISHERIES SCIENCE
A/C	147501000000126
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFS CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003
BRANCH ADDRESS	VETERINARY UNIVERSITY MATHURA

B.Tech (Biotechnology) में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	FINANCE OFFICER (BIOTECHNOLOGY)
A/C	147501000000087
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFS CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003
BRANCH ADDRESS	VETERINARY UNIVERSITY MATHURA

प्रमाण पत्र निम्न अनुसार क्रमवार लगाए जाए

निम्नानुसार कम सं० 1 से 14 (पाँच सेट)	
1. Application Form for Admission (पूर्णतया बडे अक्षरों में भर कर)	
2. हाईस्कूल अंक तालिका	
3. हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र	
4. इण्टरमीडिएट अंक तालिका	
5. इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र	
6. उ०प्र०निवास प्रमाण पत्र	
7. पिछडी जाति/अनु०जाति/अनु०जनजाति/EWS प्रमाण पत्र (श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)	
8. आय प्रमाण पत्र	
9. आधार कार्ड	
10.दिव्यांग प्रमाण पत्र (दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक प्रमाण पत्र (उपश्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)	
11.स्थानांतरण प्रमाणपत्र अथवा प्रवजन प्रमाण पत्र (जहाँ से अन्तिम शिक्षा पाई हो)	
12.चरित्र प्रमाण पत्र	
13.शपथ पत्र अनुशासन (Annexure G, G(a), G(b) व H)	
14.शपथ पत्र गैप (Annexure I)	

**U.P.Pt Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidhalaya Evam Go-
Anusandhan Sansthan (DUVASU), Mathura-281001**

APPLICATION FORM FOR ADMISSION

**B.V.Sc.&A.H. /B. Tech (Biotechnology) / B.Tech (Dairy Technology)/B.F.Sc
SESSION 2025-26**

Name of the Programme

1. Name of the applicant (block letters)

in English.....

in Hindi.....

Attested
photo

2. Nationality.....

3. Name of the father and address with occupation.....

.....

4. Mother's name

5. Aadhar No.....

6. Mailing postal Address.....

7. Permanent address.....

District.....State.....Pincode.....

8. Tel No. with STD Code.....Mobile No.....

E-Mail.....

9. (a) Date of birth (b)Age.....Year.....Month.....Days.....

10. Examinations passed

Examination	Name of the Board/ Institution/ University	Year of passing	Division /Percentage/ OGPA/CGPA	Number of attempts
1	2	3	4	8
High School/ Secondary				
Intermediate/ Higher Secondary				
Graduation				
Post Graduation				

Note: a. In not relevant parts, please write “not applicable”

b. Application form should be complete in all respects and must be accompanied by attested copies of all the certificates and mark sheets as proof of the educational qualifications.

ANNEXURE-A

अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट / प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०.....पुत्र/पुत्री..... निवासी: गाँव/शहर
.....नगरजिला.....प्रदेश..... जन्म..... जाति में हुआ था और
यह जाति अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश: संशोधन एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मान्य अनुसूचित
जाति/जनजाति है।

स्थान:

हस्ताक्षर:.....

दिनांक:

नाम:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मोहर:

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

ANNEXURE-B

अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण-पत्र

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/माता श्री/कु०..... उत्तर प्रदेश के
गाँव/शहर.....तहसील.....जिला.....के स्थायी निवासी है तथा श्री/कु०.....
.....अपने पिता/माता पर पूर्णतया आश्रित है।

अभ्यर्थी के माता/पिता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट.....

दिनांक:

नाम:.....

स्थान:

मोहर:

उत्तर प्रदेश से स्वतन्त्रता सैनानियों (Sub Category FF)

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०.....श्री/श्रीमती..... निवासी.....के पुत्र/पुत्री/पुत्री के पुत्र/पुत्र की पुत्री (अविवाहित) है। श्री/श्रीमती..... ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण— जो लागू न हो उसे काटने का कष्ट करें।

- कम से कम दो माह की वास्तविक अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो या
- नजरबंदी या अण्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास रहे हों या
- कम से कम 10 बेंतों की सजा पाई हो, या
- फरार घोषित हुआ हो, या
- गोली से घायल हुआ हो, या
- वीरगति प्राप्त की हो, या
- ऐसे व्यक्ति भी जो पेशावर काण्ड के रहे हो, या
- भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो, या
- भूतपूर्व इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के प्रमाणित सदस्य हो, या

टिप्पणी: ऐसे व्यक्ति जिन्होंने माफी माँगी हो, उक्त परिभाषा में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....उपरोक्त स्वतन्त्रता सैनानी श्री.....के पुत्र/पुत्री है अथवा उनके पौत्र/पौत्री है तथा वह उन पर वास्तव में आश्रित है।

अभ्यर्थी के माता/पिता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट.....

दिनांक:

नाम:.....

स्थान:

मोहर:

उत्तर प्रदेश सेना दल (Sub Category AF)

(सक्रिय सेवा अथवा भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के लिए प्रमाण पत्र)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०.....पुत्र/पुत्री..... निवासी/गाँव/शहर तहसील.....जिला.....प्रदेश.....दिनांक.....को सेवा निवृत्त/युद्ध में मारे गए/अपंग हो गए। वे उस समय थलसेना/जलसेना/वायुसेना.....के.....पर कार्यरत थे।

दिनांक:.....

यूनिट कमान्डिंग आफिसर के हस्ताक्षर

स्थान:.....

मोहर:

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री .
निवासी: गाँव.....तहसील.....नगर.....जिला.
उत्तर प्रदेश.....राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, यह जाति
 उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम
 1994 की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम सूचना
 संख्या 22-16-92 का 2-95 दिनांक 8-12-95 में उल्लिखित अनुसूची-दो से आच्छादित नहीं है।

श्री/कुमारी/श्रीमती.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....
 नगर जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान:

हस्ताक्षर:.....

.....

दिनांक:

नाम:.....

...

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मोहर:

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
 सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2025.

**AFFIDAVIT BY THE STUDENT
(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELLING)**

I.....registration no. (S/o D/o Mr./Mrs/Ms)
.....having been admitted
to..... have received a copy of the UGC Regulation on
Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the
“Regulations”) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- I hereby solemnly aware and undertake that
- I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under Clause 3 of the Regulations
- I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under Clause 3 of the Regulations.
- I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to Clause 9.1 of the Regulations. Without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law for the time being in force.
- I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is founded to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this.....day of.....month of.....year.

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at.....(Place).....on this the (day).....of.....(month).....(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this
the.(day).....of.....(month)..... (year).....after reading the contents
of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला शपथ पत्र

एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं.....पंजीकरण संख्या.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान तथा भविष्य में लागू होने वाले नियमों/परिनियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। अपने पूरे अध्ययनकाल में अनुशासित रहूँगा/रहूँगी। तथा मैं अपना आचरण एवं सभी के प्रति व्यवहार अच्छा रखूँगा/रखूँगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रावास के अपने कमरे में आवसित छात्र/छात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य छात्र/छात्रा को किसी भी दशा में नहीं रखूँगा/रखूँगी और न पंखा व बल्ब के अलावा अन्य कियी प्रकार का बिजली का सामान प्रयोग करूँगा/करूँगी। मुझे समय-समय पर पुनरीक्षित/अभिवर्धित बिजली कमरे का किराया तथा अन्य शुल्क मान्य होंगे।

यदि मैं उपरोक्त अथवा अन्य किसी भी नियम/परिनियम को भंग करता हूँ/करती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अनुशासनहीनता की किसी कार्यवाही में भाग लेता/लेती हूँ तो विश्वविद्यालय द्वारा समुचित दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

अभिभावक द्वारा शपथ पत्र

मैं.....जो श्री/श्रीमती/कुमारी..... का
पिता/अभिभावक हूँ ऊपर दिए गए शपथ पत्र के सभी प्राविधानों का अभिभावक के रूप में अपने पुत्र/पुत्री/वार्डस से
परिपालन कराने की शपथ लेता/लेती हूँ और साथ ही यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त अथवा किसी
नियम/परिनियम की अवहेलना करने पर मुझे अपने पुत्र/पुत्री/वार्डस के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी
निर्णय मान्य होगा।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में.....

पूरा पता.....

छात्र एवं छात्रा के पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रमाणित.....

पब्लिक नोटरी का हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक.....

**AFFIDAVIT BY THE PARENT/GUARDIAN
(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELLING)**

- Mr./Mrs/Ms..... (Full name of Parent/guardian) father/mother/guardian of.....(Full name of student with admission / registration / enrolment number)..... having been admitted to..... (Name of the institution) have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the “Regulations”) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- I hereby solemnly aware and undertake that
 - My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations
 - My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against him under any penal law for the time being in force.
- I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred form admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is found to be untrue, my ward is aware that admission is liable to be cancelled.

Declared this.....day of.....month of.....year.

deponent

Signature of

Name:.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or mis-stated therein.

Verified at.....(Place).....on this the (day).....of.....(month).....(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.(day).....of.....(month)..... (year).....after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला गैप शपथ पत्र

समक्ष: कुलसचिव, उ०प्र० पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

शपथ पत्र द्वारा श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री.....

निवासी.....जिला.....प्रदेश.....

मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती सशपथ निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा हालात शपथपत्र से बखूबी वाकिफ है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने हाईस्कूल की परीक्षा सन्.....में उत्तीर्ण की है।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा सन्.....में उत्तीर्ण की है।
4. यह कि शपथकर्ती ने सन्.....में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आज तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है। सन्.....से.....तक घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है।

मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त सशपथ तस्दीक करता/करती हूँ कि मजमून शपथपत्र की धारा 1 लगायत 4 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें न कुछ झूठ है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रमाण-पत्र

Government of.....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ Village/ Street, Post Office _____, District _____ in the State/ Union Territory _____, Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

**Recent Passport
Size attested
photograph of the
applicant**

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2025.

Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

** Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

*** Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.